



राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
आयुक्तालय, महिला अधिकारिता
(राज्य महिला संदर्भ केन्द्र)
जे-7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
ईमेल- srcw.we@rajasthan.gov.in



क्रमांक: प.27(1)(36)()/निमअ/एसआरसीडब्ल्यू/बीबीबीपी/2019-20/969-1001 जयपुर, दिनांक 7.1.22

उपनिदेशक/सहायक निदेशक,
महिला अधिकारिता
समस्त

विषय - महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु नुक्कड़ नाटक/कठपुतली नृत्य/जागरूकता रथ आदि प्रचार-प्रसार के कार्य करवाये जाने हेतु संस्थाओं के एम्पैनलमैन्ट बाबत

महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु नुक्कड़ नाटक/कठपुतली नृत्य/जागरूकता रथ आदि प्रचार-प्रसार के कार्य करवाये जाने हेतु संस्थाओं के एम्पैनलमैन्ट बाबत जारी ई-निविदा संख्या 2021_WECD_242583_1 दिनांक 27.09.2021 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के एम्पैनलमैन्ट की सूची निदेशालय स्तर से जारी की गई है, जो पत्र के साथ संलग्न है। निदेशालय स्तर पर सभी संस्थाओं के साथ अनुबन्ध कार्य सम्पादित किया जा चुका है। इन संस्थाओं से जिला स्तर पर सम्बन्धित कार्य नियमानुसार करवाया जा सकता है। आरटीपीपी एक्ट 2012, नियम 2013 में संशोधन परिपत्र दिनांक 18.12.2020 के अनुसार नियम 75 में किये गये संशोधन के बिन्दु संख्या (ii) के अनुसार कार्यादेश के समय संस्था द्वारा कार्यादेश राशि का नियमानुसार भुगतान कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में कार्यादेश जारी करने वाले कार्यालय द्वारा संस्था से प्राप्त किया जायेगा। संस्थाओं के एम्पैनलमैन्ट की सूची संलग्न कर निर्देश है कि कोविड गाईडलाइन की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जाए।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(रश्मि गुप्ता)

आयुक्त
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.27(1)(36)()/निमअ/एसआरसीडब्ल्यू/बीबीबीपी/2019-20/1002-1008 जयपुर, दिनांक 7/1/2022

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. वरिष्ठ सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता, निदेशालय, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर
5. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, समस्त
6. समस्त सम्बन्धित संस्थाएं.....
7. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (जेण्डर)
एवं प्रभारी अधिकारी (SRCW)
महिला अधिकारिता, जयपुर